संख्या-155/2021/2304/ 30-3-2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-59(जी0)प्रावि0/2021-83प्रावि0/2019, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या-283प्रावि0/2021-83प्रावि0/2019, दिनांक 06 जुलाई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण कार्य में होने वाले व्यय हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रेषित विस्तृत आगणन के क्रम में संशोधित आगणन रू0 28.94 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं विषयगत योजना हेतु भारत सरकार से बैंक आफ बड़ौदा में परिवहन आयुक्त के नाम खुले खाता संख्या-98270200000001 में प्राप्त धनराशि से ही व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत कार्य VLTD से आच्छादित है तथा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.gov.in

(6) राज्यांश की धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

2- अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग-लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय के उपशीर्ष "06 व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश मद आवंटित किया गया है। अतः प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण हेतु भारत सरकार से बैंक आफ बड़ौदा में परिवहन आयुक्त के नाम खुले खाता संख्या-98270200000001 में प्राप्त धनराशि से ही व्यय किया जाना है।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/-
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-155/2021/2304(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-155/2021/2304/ 30-3-2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-59(जी0)प्रावि0/2021-83प्रावि0/2019, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या-283प्रावि0/2021-83प्रावि0/2019, दिनांक 06 जुलाई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण कार्य में होने वाले व्यय हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रेषित विस्तृत आगणन के क्रम में संशोधित आगणन रू0 28.94 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं विषयगत योजना हेतु भारत सरकार से बैंक आफ बड़ौदा में परिवहन आयुक्त के नाम खुले खाता संख्या-98270200000001 में प्राप्त धनराशि से ही व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत कार्य VLTD से आच्छादित है तथा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.gov.in

(6) राज्यांश की धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

2- अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग-लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय के उपशीर्ष "06 व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश मद आवंटित किया गया है। अतः प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के निर्माण हेतु भारत सरकार से बैंक आफ बड़ौदा में परिवहन आयुक्त के नाम खुले खाता संख्या-98270200000001 में प्राप्त धनराशि से ही व्यय किया जाना है।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/-
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-155/2021/2304(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।